भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2562
16 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता

2562. **सुश्री इकरा चौधरीः**
श्री पुष्पेंद्र सरोजः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017 के अंतर्गत वर्तमान में कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता, प्रति व्यक्ति इस्पात खपत और संचालित एवं गैर-संचालित इस्पात इकाइयों की संख्या राज्य-वार और उत्तर प्रदेश में जिला-वार कितनी है;
(ख) एनएसपी से जुड़े बुनियादी ढांचे का घटक-वार, राज्य-वार और उत्तर प्रदेश में जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश स्थित एमएसएमई इस्पात इकाइयों के लिए कच्चे माल (लौह अयस्क, कोकिंग कोल, पेलेट्स) की उपलब्धता और उत्पादन एवं रोजगार पर इसके प्रभाव की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;
(घ) एनएसपी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की इस्पात इकाइयों में प्रौद्योगिकी उन्नयन, ऊर्जा दक्षता और स्क्रैप-रीसाइक्लिंग पहल की प्रगति और आवंटित, स्वीकृत और जारी की गई धनराशि क्या है; और
(ङ) क्या क्लस्टर विकास, पुनर्चक्रण इकाइयों या अनुसंधान एवं विकास सहायता के लिए उत्तर प्रदेश से प्राप्त कोई परियोजना प्रस्ताव लंबित हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और अनुमोदन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री एच. डी. कुमारास्वामी)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017, को उत्तर प्रदेश सहित भारत में, इस्पात क्षेत्र को नीतिगत दिशा प्रदान करने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग के निर्माण के उद्देश्य से लागू किया गया था। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 में किए गए अनुमानों के सापेक्ष इस्पात क्षेत्र की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:-

जारी.....2/-

मिलियन टन में

क्र. सं.	पैरामीटर	एनएसपी, 2017 के अंतर्गत वर्ष (2030-31) के लिए अनुमान	वर्तमान स्थिति (2024-25)
1.	कुल क्रूड स्टील क्षमता	300	200.33
2.	कुल क्रूड स्टील मांग/उत्पादन	255	152.18
3.	कुल तैयार इस्पात मांग/उत्पादन	230	146.69
4.	प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात खपत (किलोग्राम में)	158	108

उत्तर प्रदेश की क्रूड स्टील की क्षमता और क्रूड स्टील का उत्पादन क्रमशः 3.295 मिलियन टन और 2.227 मिलियन टन हैं।

इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए एक अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर सुविधा-प्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित भारत में कच्चे माल की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी-उन्नयन, ऊर्जा-दक्षता के साथ-साथ स्क्रैप पुनर्चक्रण को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने हेतु घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति का कार्यान्वयन।

2. देश के भीतर मूल्य-वर्धित इस्पात विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और पूंजी-निवेश आकर्षित करके आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत।

3. इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्य बलों की सिफारिशों के अनुरूप "ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप एंड एक्शन प्लान" नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका उद्देश्य 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य की ओर ग्रीन स्टील और संधारणीयता हेतु भविष्य का रोडमैप प्रदान करना है।

4. इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019, विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाले लौह स्क्रैप के पुनर्चक्रण को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ एक समन्वय कार्यप्रणाली प्रदान करती है।

5. पोतों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल पुनर्चक्रण को विनियमित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 को अधिसूचित किया गया।

6. केंद्रीय बजट 2024-25 में, घरेलू विनिर्माताओं का प्रोत्साहित करने और घरेलू इस्पात विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:-

क. इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल फेरो-निकल और मोलिब्डेनम अयस्कों और कंसट्रैट पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया ।
ख. फेरस स्क्रैप पर मूल सीमा शुल्क छूट को दिनांक 31.03.2026 तक जारी रखा गया है।
ग. कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) इस्पात के विनिर्माण के लिए निर्दिष्ट कच्चे माल पर छूट को दिनांक 31.3.2026 तक बढ़ाया गया।

******